संलग्नक-15

संलग्न

(4)

माडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन-श्रावस्ती

मुख्यालयःभिनगा

पंजीयन संख्या:43-2006-2007

अध्यक्ष
दिनेश कुमार शुक्ल 'एडवोकेट'
मो0-9415571850

महामंत्री
अवधेश कुमार 'एडवोकेट'
मो0-9454307045

वरिष्ठ उपाध्यक्ष
वीरेन्द्र कुमार शर्मा 'एडवोकेट'
मो0- [illegible]
संयुक्त मंत्री
प्रशासन
आशुतोष मिश्र 'एडवोकेट'
मो0- [illegible]
प्रकाशन
ओम नारायण मिश्र 'एडवोकेट'
मो0- [illegible]
पुस्तकालय
सतीश कुमार तिवारी 'एडवोकेट'
मो0- [illegible]
मध्य उपाध्यक्ष
[illegible] 'एडवोकेट'
मो0- [illegible]
[illegible] प्रसाद त्रिपाठी 'एडवोकेट'
मो0- [illegible]
कनिष्ठ उपाध्यक्ष
अभिषेक त्रिपाठी 'एडवोकेट'
मो0- [illegible]
[illegible] वर्मा 'एडवोकेट'
मो0- [illegible]
कोषाध्यक्ष
रवि शंकर पाठक 'एडवोकेट'
मो0- [illegible]
वरिष्ठ सदस्य
[illegible] 'एडवोकेट'
मो0- [illegible]
[illegible] पाठक 'एडवोकेट'
मो0- [illegible]
[illegible] लाल मिश्रा 'एडवोकेट'
मो0- [illegible]
[illegible] 'एडवोकेट'
मो0- [illegible]
विजय कुमार पाण्डेय 'एडवोकेट'
मो0- [illegible]
मो0 [illegible] 'एडवोकेट'
मो0- [illegible]
कनिष्ठ सदस्य
अजय कुमार [illegible] 'एडवोकेट'
मो0- [illegible]
[illegible] वर्मा 'एडवोकेट'
मो0- [illegible]
[illegible] कुमार पाठक 'एडवोकेट'
मो0- [illegible]
अशोक कुमार [illegible] 'एडवोकेट'
मो0- [illegible]
मो0 [illegible] 'एडवोकेट'
मो0- [illegible]
मो0 [illegible] 'एडवोकेट'
मो0- [illegible]
पदेन सदस्य
[illegible] 'एडवोकेट'
मो0- [illegible]
[illegible] कुमार त्रिपाठी 'एडवोकेट'
मो0- [illegible]

पत्रांक 375..........

दिनांक 07.02.2020

सेवा में

माननीय चीफ जस्टिस महोदय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली, भारत

विषय-नवसृजित जनपद श्रावस्ती में वर्तमान जनपद न्यायाधीश महोदय के कार्य व्यवहार के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर अनुरोध है कि जनपद श्रावस्ती में नियुक्त वर्तमान जनपद न्यायाधीश महोदय का कार्यव्यवहार अधिवक्ताओं के प्रति काफी उपेक्षापूर्ण और दुर्भावनाग्रस्त है, इससे आहत होकर जनपद न्यायाधीश महोदय श्रावस्ती के न्यायालय का दिनांक 07.02.2020 से अगली बैठक दिनांक 15.02.2020 तक माडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन श्रावस्ती द्वारा कार्यबहिष्कार का निर्णय लिया गया है। इससे पूर्व न्यायाधीश महोदय से एक प्रतिनिधि मंडल मिलकर उनसे इस विषय पर चर्चा एवं पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था, किन्तु उनके कार्यव्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है पत्रावलियों मे सुनवायी हेतु कोई समय तय नही है तथा न्यायालय पर बैठकर भय का माहौल बनाये रहते हैं और गुस्साकर व्यवहार करते है, जिससे न्यायिक मर्यादा का उल्लंघन होता है तथा जमानत प्रार्थनापत्रों का निस्तारण अज्ञात कारणों के वशीभूत होकर मनमाने ढंग से करते है जिससे जनपद के दूरदराज क्षेत्र से आये वादकारियों एवं अधिवक्ताओं से अनावश्यक रूप से प्रताड़ित करने के उद्देश्य से देर शाम तक बैठाये रहते है जबकि जनपद श्रावस्ती में यातायात के साधनों की कमी है जनपद न्यायाधीश महोदय श्रावस्ती द्वारा नवनिर्मित न्यायालय भवन मे बिना नवनिर्मित भवन माननीय उच्च न्यायालय के सुपुर्द हुए स्वयं का आवास बनाकर प्रवेश कर लिया गया है जबकि आज तक नवनिर्मित भवन मे न्यायालय का कार्य सम्पादित नही हो रहा है।

उक्त परिप्रेक्ष्य मे अधिवक्ता एव वादकारियों और न्याय को दृष्टिगत रखते हुए बाद जांच नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना है उपरोक्त तथ्यों का संज्ञान लेकर माननीय जनपद न्यायाधीश श्रावस्ती श्री मृदुलेश कुमार सिंह के प्रति उचित एवं आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा की जाय; ताकि इस संघ के अधिवक्तागण सम्मानपूर्वक विधि व्यवसाय कर सकें।

एतदर्थ संघ आपका आभारी रहेगा।

भवदीय

[signature]

महामंत्री

माडल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन श्रावस्ती
मुख्यालय भिनगा।

07-02-2020

... के अनुसार दिनांक 26.11.2019 का